

जज अदालत उप खण्डाधिकारी मुकाम रापाखंडा

नीरज शर्मा बनाम गिरीश शर्मा

किस्म मुकदमा डावा नं. सन्

राजस्व लोक अदालत अभिनव न्याय आपके द्वार-2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
4/6/18	<p>आज यह प्रत्यक्ष राजस्व लोक अदालत अभिनव न्याय आपके द्वार के मध्य बसने के पुर पत्रे हुए। पत्रकार डाक्टर सुनवाई एक चर्चा की गयी। यह दावा जारी है यह इस मामले का पत्र लिखा है कि विवादित इलाके का नं 466 रकब 3 बीघा 14 बिल्व। स्थित ग्राम बिचपुरी तहसील रापाखंडा पर दावे का मुद्दे से नीरज शर्मा एवं रामदत्त शर्मा जस्टिस के हुक्म शोभाभाय के स्थान पर कान्टा उर्फ निरंजन कुमार के नाम है जो गलत है। मुद्दे की जमानत दावे का सही नाम नीरज शर्मा किया जावे। इस सम्बन्ध में मजले इलाके में चर्चा की गयी। दावे में दावेदार तहसील के सही कताप गलत रूप सम्बन्ध में तहसीलदार रापाखंडा से पत्र भेज दिए गये। उनके द्वारा जाल का उखार कराया है। कि दावे का कथन सही है कि राजस्व रिफार्ड में विवादित इलाके पर कान्टा उर्फ निरंजन कुमार के नाम का जोशीर का नीरज शर्मा के लिए करने हेतु कथन किया है। हमने प्रत्यक्ष का उपस्थित किया तब रिफार्ड तहसीलदार से उपप्लुट सफल पर गौर किया।</p> <p>हैरा डाफिक कि राजस्व रिफार्ड में विवादित इलाके का नं 466 रकब 3 बीघा 14 बिल्व। स्थित ग्राम बिचपुरी तहसील</p>	

उप खण्डाधिकारी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

2 लाखों पर दर्ज कोटा उर्फ विरंज
कुमार उर्फ रामदत्त के स्वामित्व पर
गीबज शर्मा उर्फ रामदत्त सहैसिद
जाने के अफेक दिम लागू हो पर्य
डिबी जमीन को पपाली फौजदारी शुमार
इसके बाद तफसील शक्तिप इफ्त
हो इफ्त शुमार गमा

उप खण्डाधिकारी
राजाखेड़ा

पंजीकृत न्यायिक कार्य प्रणाली
2015-2016 तक तक

अवकाश के समय
मदद कि माहिराद
अवकाश कि मन्तु
मन्तु प्रारंभ है


[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

कायालय तहसीलदार राजखेड़ा
 क्रमांक/ 118/ दिनांक

File
 जंगल विभाग
 न्यायालय श्रीमान उपखण्डाधीशजी
 महोदय, राजखेड़ा
 इनका नैरज प. शर्मा
 के अन्वय में जने बाबत.

महोदय, निम्नलिखित है कि विन्दुकार अन्वय निम्न प्रकार है कि.

1. यह है कि आ.ख. नं. 466 अन्वय 3-14 वीका कोड
 ग्राम विचपुरी तह. राजखेड़ा में कान्ता उर्फ विरंजन कुमार
 कोम प्रायण सा. शम काबाद तह. फतेहाबाद (5050) हि. 1/10
 का आवल द्वार खोले दात है। जो कि वि. शम दात के सरणी-
 परात विराहरी के अन्वय दूर प्रिया है।
2. वादी नैरज शर्मा ने दावा के (क्र. नं. 77/2016) में जाति
 दिया है कि विराहरी के अन्वय पर, सहकन हे 34वा नाम
 कान्ता उर्फ विरंजन कुमार अन्वित दिया है, जो गलत है।
 सभी नाम नैरज शर्मा ही है।
3. वादी नैरज शर्मा द्वारा नाम शर्मा कापाल सादर है। यह में
 आचार्य बुडि, शाहीगंज लाइसेंस, पहचान पत्र, आच. शाही
 आच. व. नगर पालिका शमबाबाद की आच. पत्र, शपथ पत्र,
 शाहीगंज की जूरी इलाका की है। जिले की
 वादी का नाम नैरज शर्मा पुत्र शमदात शर्मा दर्ज है।
4. मुलाविज इलाका सादर पत्र व शपथपत्र के आचार्य पर
 कान्ता उर्फ विरंजन कुमार है ह्यान पर नैरज शर्मा अन्वित
 किया जाय. प्रस्तावित है। अन्वयित 201133 LRACT

 1.24
 न्यायाधीशजी

(118)
 14.8.18
 702
 तहसीलदार (भू.अ.)
 राजखेड़ा (धौलपुर)